श्री गौड़ सहकारी सभा मर्यादित इंदौर वि. मयंक
सीएनआर नंबर–एमपी09010–12320–2025

आदेश पत्रिका

23.07.2026

परिवादी श्री गौड़ सहकारी सभा मर्यादित इंदौर द्वारा श्री संतोष जोशी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रकरण आज सुनवाई में लिये जाने का निवेदन किया। प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

प्रकरण न्यायालय शुल्क, मूल दस्तावेज प्रस्तुति एवं पंजीयन तर्क हेतु नियत है।

इसी स्तर पर परिवादी द्वारा श्री संतोष जोशी अधिवक्ता ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 257 द0प्र0स0 का प्रस्तुत करते हुए यह व्यक्त किया कि परिवादी द्वारा परिवाद आरोपी के विरूद्ध चैक अनादरण के संबंध में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। परिवादी ने चेक संबंधित आरोपी के विरूद्ध लगाया था, जिसमें परिवादी एवं आरोपी के मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो चुका है । परिवादी एवं आरोपी के विरूद्ध राजीनामा हो जाने से परिवादी अब आरोपी के विरूद्ध प्रकरण नहीं चलाना चाहता है। उपरोक्त आधारों पर आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को समाप्त किये जाने बाबत् आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया है।

परिवादी अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

परिवादी की ओर से परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का मामला समन प्रकृति का मामला होकर शमनीय प्रकृति का है। उक्त आवेदन के अनुसार परिवादी, अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद आगे नहीं चलाना चाहता है एवं अपना परिवाद वापस लेना चाहता है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 257 द.प्र.सं स्वीकार करते हुए परिवादी को परिवाद पत्र वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रकरण अपंजीबद्ध है। प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

भूपेन्द्र तिवारी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर (म.प्र.)